वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी

राजा उदय प्रताप मार्ग पन्ना लाल पार्क वाराणसी-221002

Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website:www.vdavns.com

वाराणसी विकास प्राधिकरण से सम्बन्धित दिनांक 19.07.2024 को वाराणसी शहर में प्रकाशित न्यूज पेपर", दैनिक जागरण, आज, अमर उजाला, हिन्दुस्तान, राष्ट्रीय सहारा, ज्ञानशिखा टाइम्स, तरुणमित्र न्यूज़, परफेक्ट मिशन, जागरूक एक्सप्रेस," समाचार पत्र कटिंग का विवरण।

दैनिक जागरण–दि0 19.07.2024

अपने गांवों को स्मार्ट बनाएगा वीडीए

बनेंगी सड़कें, स्कूल और आंगनवाड़ी केंद्र बनेंगे माडल, बोर्ड की बैठक पर पहल

जागरण संवाददाता, वाराणसी: विकास प्राधिकरण अवस्थापना निधि से गांवों को स्मार्ट बनाने के लिए अब कार्य करेगा। इसकी तैयारी शुरू हो गई है। प्राधिकरण क्षेत्र में पड़ने वाले गांवों का नक्शा वीडीए की ओर से जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालय को सौंपी गई है। प्राधिकरण इन गांवों में क्या- क्या कार्य कराएगा, इसका लेखा जोखा भी दिया गया है। प्रस्ताव बनाने की दिशा में अब कार्य शुरू कर दिया गया है।

वाराणसी विकास प्राधिकरण अपने क्षेत्र के गांवों के विद्यालय, आंगनबाड़ी केंद्र, पंचायत भवन का कायाकल्प करेगा। इसके अलावा विद्यालय व पंचायत भवन की चाहरदीवारी, सीसी रोड, इंटरलाकिंग, व्यायामशाला, पब्लिक एड्रेस की स्थापना, नाली समेत अन्य आवश्यक कार्य को भी मूर्तरूप देगा।

प्रथम चरण में वीडीए की ओर से एक गांव पर दस लाख रुपये तक खर्च किए जा सकेंगे। पहले शहरी क्षेत्र में आने वाले गांवों को वरीयता

- वीडीए ने डीपीआरओ कार्यालय को दिया नक्शा व कार्य का लेखा-जोखा

दी जाएगी। इसी क्रम में आगे भी अवस्थापना निधि से प्राधिकरण गांव में विकास कार्य करा सकेगी। विकास प्राधिकरण बोर्ड की बैठक निर्णय के बाद इस पर पहल शुरू हो गई है। इसके पीछे मुख्य वजह प्राधिकरण की जद में आने वाले गांवों में विकास कार्य कराकर यह बताना कि इस क्षेत्र के विकास के लिए वीडीए प्रतिबद्ध है ताकि लोग नक्शा पास कराने के लिए आगे आएं।

शहरी क्षेत्र के विस्तार की दिशा में पहल: विकास प्राधिकरण का क्षेत्र विस्तार वाराणसी, मीरजापुर, चंदौली के बार्डर तक हो चुका है। प्राधिकरण की सीमा में 705 गांव आ चुके हैं। वाराणसी जनपद में अधिकतर गांव

प्राधिकरण के क्षेत्र में वाराणसी के गांव

ब्लाक	गांव की संख्या
बड़ागांव	चार
आराजीलाइन	40
चिरईगांव	85
चोलापुर	20
हरहुआ	122
काशी विद्यापीठ	83
पिंडरा	23
सेवापुरी	67

अब शहरी क्षेत्र की जद में हैं। पिछले एक दशक में 84 पंचायतें समाप्त कर विकास प्राधिकरण में शामिल भी किया जा चुका है।

जनपद में अब पंचायतों की संख्या 694 ही रह गई है। हालांकि जनपद में 60 फीसद गांव विकास प्राधिकरण क्षेत्र में आ चुके हैं। हालांकि इन गांवों में अभी पंचायतें हैं। गांवों में विकास कार्य पंचायतों के जिम्मे हैं लेकिन माना जा रहा है कि इन गांवों में बढ़ती आबादी को देखते हुए अब विकास की आवश्यकता है। इसी दिशा में विकास प्राधिकरण ने यह कदम उठाया है।

अवस्थापना निधि

विकास प्राधिकरण को विकास शुल्क, स्टांप ड्यूटी शुल्क, समन शुल्क समेत अन्य से प्राप्त राशि अवस्थापना निधि होती है। बताया जा रहा है कि लगभग प्रतिवर्ष 20 से 25 करोड़ रुपये इस निधि में आती है। इस राशि का उपयोग बोर्ड की सहमति पर मूलभूत सुविधाओं पर खर्च किया जाता है।

"विकास प्राधिकरण अवस्थापना निधि से गांवों के विकास की दिशा में कार्य करेगा। गांव में विकास के कौन से कार्य जरूरी है। इसकी वरीयता दी जाएगी। जनप्रतिनिधि से भी इस बाबत प्रस्ताव मांगा जाएगा।

– हिमांशु नागपाल, मुख्य विकास अधिकारी

दैनिक जागरण–दि0 19.07.2024

पहड़िया में ताज गेटवे का मानचित्र 50 घंटे में पास

जागरण संवाददाता, वाराणसी : विकास प्राधिकरण ने जिले में एक और पांच सितारा होटल का मानचित्र स्वीकृत किया है। वीडीए उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग ने बताया कि ताज गेटवे का पांच सितारा होटल का मानचित्र 50 घंटे में स्वीकृत किया गया है।

पहड़िया–आशापुर मार्ग स्थित पुराने इनकम टैक्स कालोनी के पास 9471.11 वर्गमीटर में राज कांप्लेक्स के निदेशक विशाल सिंह ने पांच सितारा होटल के मानचित्र के लिए प्राधिकरण में आवेदन किया था।

प्रपत्रों की जांच करने के बाद 50 घंटे मानचित्र स्वीकृत कर दिया गया। ताज गेटवे के नाम से पांच सितारा होटल में दो बेसमेंट के अलावा 12 मंजिल का मानचित्र स्वीकृत किया गया है।

इसकी ऊंचाई 44.25 मीटर और चारों तरफ 13 मीटर सेटबैक होगा। इसमें विभिन्न श्रेणियों के 167 कमरे, 700 वर्गमीटर में एक बैंक्वेट हाल, एक कान्फ्रेंस सभागार, तीन मीटिंग सभागार, एक बोर्ड सभागार, एक रेस्टोरेंट, एक मल्टीक्यूजीन स्पेसियलिटी रेस्टोरेंट, दो लाउंज स्विमिंग पुल, बार एवं रेस्टोरेन्ट के साथ एक अतिरिक्त बार, 150 कार पार्किंग होगी।

दैनिक जागरण–दि0 19.07.2024

वीडीए ने अवैध प्लाटिंग की तोड़ी बाउंड्री

वाराणसी : वीडीए उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग के निर्देश गुरुवार को अवैध निर्माण और जमीन की प्लाटिंग करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई। जोनल अधिकारी प्रकाश कुमार ने बताया कि मुगलसराय वार्ड के करवत में बिना मानचित्र स्वीकृत कराए तीन बीघा में जमीन की प्लाटिंग की जा रही थी। बाउंड्री को तोड़ दिया है। दशाश्वमेध वार्ड के दरेखू में पांच बीघा में अवैध प्लाटिंग हो रही थी उसे तोड़ दिया गया। (जासं)

दैनिक जागरण–दि0 19.07.2024

उपाध्यक्ष ने संपत्ति अधिकारी को कार्रवाई करने को कहा

जागरण संवाददाता, वाराणसी : विकास प्राधिकरण उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग ने बताया कि अवस्थापना निधि से जिले के विभिन्न मार्गों में एलइडी लाइट लगाई गई है। 1030 स्ट्रीट लाइट को देखरेख अब नगर निगम करेगा। नगर निगम को सभी मार्गों पर लगाई गई लाइटें स्थानांतरित कर दी गई है।

आज–दि0 19.07.2024

सरायनन्दन में भवन सील

विप्रा उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग के निर्देश पर वार्ड भेलूपुर के आराजी संख्या १३३, मौजा सरायनन्दन में भवनस्वामी बिना मानचित्र स्वीकृत कराये भूतल पर निर्माण कार्य शुरू कर दिया था। मौके पर पहुंचे अवर अभियंता ने भवन स्वामी को स्वीकृत मानचित्र मांगी, जिससे वह नहीं दिखा सका। सूचना के आधार जोनल अधिकारी प्रमोद तिवारी, अवर अभियंता राकेश कुमार सिंह, अजय जैन ने स्थानीय पुलिस की मदद से भवन को सील कर दिया। क्षेत्रीय अवर अभियंता ने थाना भेलूपुर के निगरानी में सौंप दिया।

आज–दि0 19.07.2024

११ बीघा प्लाटिंग पर चली जेसीबी

विप्रा उपाध्यक्ष के निर्देश पर अभियंताओं की टीम ने गुरुवार को वार्ड मुगलसराय मौजा-करवट में बिना मानचित्र स्वीकृत कराये तीन बीघा जमीन पर प्लाटिंग हो रही थी। मौके पर पहुंचकर जोनल अधिकारी प्रकाश कुमार और अवर अभियंता पीएन दूबे, प्रवर्तन दल और निकटम पुलिस के सहयोग से जेसीबी के माध्यम से प्लाटिंग को ध्वस्त करा दिया गया। इसी प्रकार वार्ड नगवा मौजा-डाफी हरिजन बस्ती के पास बिना मानचित्र स्वीकृत कराये अजय पाण्डेय नामक व्यक्ति तीन बीघा जमीन पर अवैध प्लाटिंग करा रहे थे। जिसकी अनुमति विप्रा से नही ली गयी थी शिकायत के आधार पर जोनल अधिकारी प्रमोद तिवारी और अवर अभियंता आर.के.सिंह, प्रवर्तन दल, स्थानीय पुलिस के मदद से प्लाट पर हुये अवैध निर्माण को ध्वस्त करा दिया गया। इसी प्रकार दशाश्वमेध वार्ड के ग्राम दरेखू में बिना ले आऊट स्वीकृत कराये पांच बीघा जमीन पर अवैध प्लाटिंग की जा रही थी। शिकायत के आधार पर जोनल अधिकारी सौरभ देव प्रजापति, अवर अभियंता अशोक त्यागी, क्षेत्रीय सुपरवाइजर, प्रवर्तन दल, निकटम थाने की पुलिस ने जेसीबी की मदद से प्लाटिंग में हुये निर्माण को ध्वस्त करा दिया।

दो करोड़ बकाया वसूली के लिये विप्रा उपाध्यक्ष पहुंचे मौके पर

विप्रा की टीम ने गुरुवार को सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश वित्त निगम क्षेत्रीय अभिलेखागार और डाक विभाग से एक करोड़ दो लाख ९० हजार तीन सौ २७ रुपये इसके अलावा दीपशिखा अपार्टमेंट दूकानों में एक

करोड़ २० लाख रुपये बकाया को जमा करने के लिये विप्रा उपाध्यक्ष मौके पर पहुंचे। बकाया राशि निर्धारित अवधि में जमा न करने पर आवश्यक विभागीय काररवाई करने के लिये संपत्ति अधिकारी को निर्देश दिया।

वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी

राजा उदय प्रताप मार्ग पन्ना लाल पार्क वाराणसी-221002

Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website:www.vdavns.com

अमर उजाला–दि0 19.07.2024

सख्ती — वीडीए की ओर से तीन जगहों पर की गई कार्रवाई

11 बीघे की अवैध प्लॉटिंग ध्वस्त, दी तहरीर

माई सिटी रिपोर्टर

वाराणसी। वीडीए की ओर से बृहस्पतिवार को तीन जगहों पर 11 बीघे की अवैध प्लॉटिंग ध्वस्त करवाई गई। लंका थाने में एफआईआर के लिए तहरीर दी गई।

वीडीए उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग के अनुसार, नगवा वॉर्ड के भेलूपुर लंका डाफी हरिजन बस्ती के पास बगैर मानचित्र स्वीकृत कराए अजय पांडेय उर्फ बबलू प्रधान व अन्य की ओर से 3 बीघे में अवैध प्लॉटिंग विकसित की जा रही थी। जिसे ध्वस्त कराने के साथ लंका थाने में एफआईआर के लिए तहरीर दी गई। दशाश्वमेध वार्ड के दरेखू में अज्ञात की ओर से 5 बीघे में अवैध प्लॉटिंग की जा रही थी, जिसे ध्वस्त कराया गया। मुगलसराय वॉर्ड के करवत में अज्ञात की ओर से 3 बीघे में अवैध प्लॉटिंग विकसित की जा रही थी। भेलूपुर वार्ड के सरायनंदन में राजेश कुमार मौर्य की ओर से अवैध निर्माण कराया जा रहा था। जिस पर वीडीए ने नोटिस दिया था। बावजूद काम कराने पर अवैध निर्माण सील कर पुलिस अभिरक्षा में दिया गया। उधर, वीडीए उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग के निर्देश पर बृहस्पतिवार को 1030 स्ट्रीट लाइटें नगर निगम को ट्रांसफर कर दी गईं।

वीडीए उपाध्यक्ष ने किया निरीक्षण, होगी वसूली

वाराणसी। शास्त्री नगर में चार विभागों का वीडीए उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग ने निरीक्षण किया। वसूली के लिए संपत्ति अधिकारी को हिदायत दी। बताया कि सूचना एवं जनसंपर्क, उत्तर प्रदेश वित्त निगम, क्षेत्रीय अभिलेखागार, डाक विभाग पर 1.02 लाख रुपये का बकाया है। दीपशिखा अपार्टमेंट की दुकानों पर 1.20 करोड़ रुपये बकाया है। सभी से वसूली की जाएगी। ब्यूरो

वीडीए के कैंप में 112 नोटिस की सुनवाई

वाराणसी। वीडीए में बृहस्पतिवार को नोटिस की सुनवाई और मानचित्र निस्तारण कैंप लगाया गया। वीडीए उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग की अगुवाई में नियोजन अनुभाग से 25, सीलिंग से 20 अनापत्ति प्रमाणपत्र जारी किया गया। 135 में से 112 लोगों के नोटिस की सुनवाई हुई। कैंप में 5 नये शमन मानचित्र के आवेदन आए। कैंप में संयुक्त सचिव परमानंद यादव सहित पांच जोन के जोनल अधिकारी व अवर अभियंता मौजूद रहे। ब्यूरो

अमर उजाला–दि0 19.07.2024

50 घंटे में स्वीकृत हुआ होटल का नक्शा

वाराणसी। वीडीए ने बृहस्पतिवार को 50 घंटे में सारनाथ में पांच सितारा ताज गेटवे का मानचित्र स्वीकृत किया। पहड़िया से आशापुर मार्ग पर अकथा में 9471.11 वर्गमीटर के भूखंड पर होटल का निर्माण होगा। विकासकर्ता राज कॉम्प्लेक्स के निदेशक विशाल सिंह की ओर से होटल का मानचित्र प्रस्तुत किया गया था। इसकी जांच के बाद इसे वीडीए उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग ने स्वीकृति प्रदान की है। 11 तल वाले होटल की ऊंचाई 44.25 मीटर होगी। ब्यूरो

वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी

राजा उदय प्रताप मार्ग पन्ना लाल पार्क वाराणसी-221002

Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website:www.vdavns.com

हिन्दुस्तान–दि0 19.07.2024

प्राधिकरण ने 45 अनापत्ति प्रमाणपत्र जारी किया

वाराणसी। वीडीए मुख्यालय में गुरुवार को नोटिस सुनवाई एवं मानचित्र निस्तारण कैंप लगा। उसमें मानचित्र निस्तारण के संबंध में नियोजन विभाग ने 25, सीलिंग विभाग ने 20 एनओसी जारी की। शमन मानचित्र के पांच आवेदन आए। 11 मानचित्र गणना के दौरान वीडीए ने 1,44,21,120 रुपये का शुल्क लगाया। उसमें 5,01,169 रुपये प्राधिकरण कोष में जमा कराया गया। 112 नोटिस की सुनवाई हुई। कैंप में संयुक्त सचिव परमानन्द यादव भी थे।

राष्ट्रीय सहारा–दि0 19.07.2024

वीडीए ने तीन स्थानों पर कुल 11 बीघा अवैध प्लाटिंग पर चलाया बुलडोजर

वाराणसी (एसएनबी)। वीडीए उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग की मौजूदगी में बृहस्पतिवार को जोन-3 की प्रवर्तन टीम ने पांच बीघे में चल रही अवैध प्लाटिंग पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की। वार्ड-दशाश्वमेध ग्राम दरेखू में अज्ञात द्वारा बिना ले-आउट स्वीकृत कराये लगभग पांच बीघा पर अवैध प्लाटिंग विकसित की जा रही थी। उपरोक्त स्थल पर किये गये अवैध प्लाटिंग को प्रवर्तन टीम एवं पुलिस बल के सहयोग से ध्वस्तीकरण की कार्यवाही करायी गयी।

वहीं दूसरी तरफ वीडीए की प्रवर्तन टीम ने मुगलसराय मौजा-करवत, जिला-चंदौली के अंतर्गत बिना मानचित्र स्वीकृत कराये लगभग तीन बीघा में विकसित की जा रही अवैध प्लॉटिंग बुलडोजर चलाया। यह कार्रवाई वीडीए ने पुलिस बल के सहयोग से की कार्यवाही की।

इसी प्रकार नगवां/भेलूपुर, थाना-लंका, मौजा-डाफी, हरिजन बस्ती के पास बिना मानचित्र स्वीकृत कराये अजय पांडेय उर्फबब्लू प्रधान व अन्य द्वारा लगभग तीन बीघा पर अवैध प्लॉटिंग विकसित की जा रही थी। जिस पर वीडीए की प्रवर्तन टीम एवं पुलिस बल के सहयोग से ध्वस्तीकरण की कार्यवाही की गयी। वहीं विकासकर्ता के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने के लिए थाना-लंका, वाराणसी को तहरीर भी दी गयी है।

राष्ट्रीय सहारा–दि0 19.07.2024

वीडीए ने अवैध निर्माण किया सील

वाराणसी। वीडीए जोन-4 की प्रवर्तन टीम ने अवैध निर्माण के विरूद्ध सील की कार्यवाही की। भेलूपुर वार्ड के अंतर्गत राजेश कुमार मौर्या पुत्र स्व. मेजूराम द्वारा आराजी सं.-133, मौजा-सरायनंदन, वार्ड-भेलूपुर, जिला-वाराणसी में बिना मानचित्र स्वीकृत कराये भूतल पर पीलर खड़े करते हुए सरियों एवं संटिरंग का कार्य किये जाने पर नोटिस की कार्यवाही की गयी थी, निर्माणकर्ता द्वारा वर्तमान में भूतल पर पीलर खड़े करने पर उक्त अनाधिकृा निर्माण को सील कर थाना भेलूपुर की सतत निगरानी में सौंप दिया गया।

वीडीए उपाध्यक्ष ने सरकारी विभागों पर बकाया राशि को लेकर की बैठक

वाराणसी। वीडीए उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग ने बृहस्पतिवार को सिगरा स्थित शास्त्री नगर में चार विभागों सूचना एवं जनसंपर्क, उत्तर प्रदेश वित्त निगम, क्षेत्रिय अभिलेखागार, डाक विभाग की बकाया राशि 1 करोड़ 2 लाख 90 हजार 372 रुपए तथा दीपशिखा अपार्टमेंट के दुकानों में बकाया राशि 1 करोड़ 20 लाख रुपए के क्रम में निरीक्षण किया। वीडीए उपाध्यक्ष ने इन विभागों से पैसे वसूलने के लिए आवश्यक कार्यवाही को संपत्ति अधिकारी को निर्देशित किया।

राष्ट्रीय सहारा–दि0 19.07.2024

वीडीए ने कई मार्गों की प्रकाश व्यवस्था नगर निगम को सौंपी

वाराणसी । वाराणसी विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग के निर्देशानुसार अवस्थापना मद से निम्न मार्गो महादेव नगर स्थित पार्क (08 एलईडी फ्लड लाइट) डीआईजी नगर पार्क (12 एलईडी), लालपुर आवासीय योजना से मुंशी प्रेमचंद्र स्मारक स्थल लमहीं होते हुये आजमगढ़ एनएच तक 102 एलईडी) संत अतुलानंद, शिवपुर बाजार होते हुए नेशनल हाईवे रोड तक (190 एलईडी) नदेसर मस्जिद से चौकाघाट तक (43 एलईडी) आशापुर से सुहेलदेव तिराहे तक (78 एलईडी) चौकाघाट तिराहे से खिड़कियां घाट (राजघाट ब्रिज) एवं खिड़कियां घाट (राजघाट ब्रिज) से पड़ाव चौराहे तक (192 एलईडी) आशापुर चौराहे से पंचकोशी चौराहे होते हुए पुलकोहना (वरूणापुल) तक (168 एलईडी), चांदपुर चौराहे बाटा गोदाम होते हुए मण्डुवाडीह थाने तक (63 एलईडी), मुड़ैला से मण्डुवाडीह थाने होते हुए मण्डुवाडीह चौराहे तक (174 एलईडी) कराये गये मार्ग प्रकाश व्यवस्था (कुल 1030 स्ट्रीट लाईट) के कार्य को नगर निगम वाराणसी को 12 जुलाई 2024 को हस्तगत कर दिया गया। 12 जुलाई 2024 से उक्त मार्गो पर स्थापित प्रकाश व्यवस्था का संचालन, अनुसरण व देख रेख नगर निगम की तरफ से किया जायेगा।

वीडीए कैंप में आये पांच नये शमन मानचित्र

वाराणसी । वाराणसी विकास प्राधिकरण के सभागार कक्ष में उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग के निर्देश के क्रम मे नोटिस सुनवाई एवं मानचित्र निस्तारण कैम्प का आयोजन किया गया। कैम्प में मानचित्र निस्तारण के संदर्भ में नियोजन अनुभाग की तरफ से कुल-25, सीलिंग अनुभाग की तरफ से कुल-20 अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया गया। कैम्प में कुल-05 नये शमन मानचित्र आवेदन प्राप्त हुए। वाराणसी विकास प्राधिकरण में पूर्व में दाखिल किये गये कुल मानचित्रों के सापेक्ष कैम्प 11 मानचित्र की गणना की गयी, जिसमें कुल मानिचत्र शुल्क के मद में रु. 1,44,21,120 आरोपित किया गया। कैम्प अवधि के दौरान मानचित्र शुल्क के मद में रु. 5,01,169 प्राधिकरण कोष में जमा कराया गया। कैम्प में मानचित्र एवं नोटिस की सुनवाई के दौरान कुल-135 उपस्थित हुए। कैंप में 112 नोटिस प्रकरणों में सुनवाई की गयी। कैम्प में संयुक्त सचिव, परमानन्द यादव के नेतृत्व में, 05 जोनों के जोनल अधिकारी, अवर अभियन्तागण, भवन लिपिक सहित नियोजन, आवाप्ति, सीलिंग एवं विधि अनुभाग के कार्मिकगण उपस्थित रहें।

वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी

राजा उदय प्रताप मार्ग पन्ना लाल पार्क वाराणसी-221002

Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website:www.vdavns.com

ज्ञानशिखा टाइम्स–दि0 19.07.2024

विकास प्राधिकरण वाराणसी प्रवर्तन टीम द्वारा अवैध निर्माण के विरूद्ध ध्वस्तीकरण की कार्यवाही

वाराणसी। वार्ड-मुगलसराय, थाना-मुगलसराय, मौजा-करवत, जिला-चन्दौली के अन्तर्गत बिना मानचित्र स्वीकृत कराये अज्ञात द्वारा लगभग 03 बीघा पर अवैध प्लॉटिंग विकसित की जा रही थी, जो उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की सुसंगत धारा-14 व 15 का खुला उल्लंघन किये जाने के कारण गुरूवार को प्रवर्तन टीम एवं पुलिस बल के सहयोग से ध्वस्तीकरण की कार्यवाही की गयी। मौके पर जोनल अधिकारी श्री प्रकाश कुमार, अवर अभियन्ता श्री पी0एन0 दूबे, एवं प्रवर्तन दल सहित समस्त सुपरवाइजर व पुलिस बल उपस्थित रहे। इसी क्रम में वार्ड-नगवां/भेलुपुर, थाना-लंका, मौजा-डाफी, हरिजन बस्ती के पास बिना मानचित्र स्वीकृत कराये अजय पाण्डेय उर्फ बब्लू प्रधान व अन्य द्वारा लगभग 03 बीघा पर अवैध प्लॉटिंग विकसित की जा रही थी, जो उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की सुसंगत धारा-14 व 15 का खुला उल्लंघन किये जाने के कारण आज दिनांक 18 जुलाई 2024 को प्रवर्तन टीम एवं पुलिस बल के सहयोग से ध्वस्तीकरण की कार्यवाही की गयी

एवं विकासकर्ता के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने हेतु थाना-लंका, वाराणसी को तहरीर भी प्रेषित कर दी गयी है। मौके पर जोनल अधिकारी श्री प्रमोद तिवारी, अवर अभियन्ता श्री आर0के0 सिंह, एवं प्रवर्तन दल सहित समस्त सुपरवाइजर व पुलिस बल उपस्थित रहे। उपाध्यक्ष ने आम जन मानस से अपील किया है कि वाराणसी विकास प्राधिकरण से ले-आउट स्वीकृत प्लॉट ही खरीदें तथा मानचित्र स्वीकृत कराये बिना किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य न करें अन्यथा की स्थिति में प्राधिकरण द्वारा सख्त कार्यवाही की जायेगी।

तरूणमित्र न्यूज–दि0 19.07.2024

वीडीए वीसी ने निरीक्षण कर आवश्यक कार्यवाही के लिए संपत्ति अधिकारी को दिए नर्देश

वीडीए वीसी पुलकित गर्ग सूचना विभाग में निरीक्षण के दौरान अधीनस्थों को निर्देशित करते हुए

तरुणमित्र न्यूज

वाराणसी। वाराणसी विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग ने गुरुवार को सिगरा स्थित शास्त्री नगर 04 विभागों (सूचना एवं जनसंपर्क, उत्तर प्रदेश वित्त निगम, क्षेत्रिय अभिलेखागार, डाक विभाग) की बकाया राशि 10290372 (1 करोड़ 2 लाख 90 हजार 372 रुपए) तथा दीपशिखा अपार्टमेंट के दुकानों में बकाया राशि 12000000 (1 करोड़ 20 लाख रुपए) के क्रम में निरीक्षण किया एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु संपत्ति अधिकारी को निर्देशित किया गया।

परफेक्ट मिशन–दि0 19.07.2024

वीडीए में नोटिस सुनवाई एवं मानचित्र निस्तारण कैम्प का हुआ आयोजन

कैम्प में मानचित्र शुल्क के मद में रू0 05,01,169 प्राधिकरण कोष में हुआ जमा

परफेक्ट मिशन

वाराणसी। वाराणसी विकास प्राधिकरण के सभागार कक्ष में उपाध्यक्ष के निर्देश के क्रम मे गुरुवार को "नोटिस सुनवाई एवं मानचित्र निस्तारण कैम्प" का आयोजन किया गया। कैम्प में मानचित्र निस्तारण के सन्दर्भ में नियोजन अनुभाग द्वारा कुल-25, सीलिंग अनुभाग द्वारा कुल-20 अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया गया। कैम्प में कुल-05 नये शमन मानचित्र आवेदन आये । वाराणसी विकास प्राधिकरण में पूर्व में दाखिल किये गये कुल मानचित्रों के सापेक्ष कैम्प 11 मानचित्र की गणना की गयी, जिसमें कुल मानचित्र शुल्क के मद में रू0 1,44,21,120 आरोपित किया गया। कैम्प अवधि के दौरान मानचित्र शुल्क के मद में रू0 05,01,169 प्राधिकरण कोष में जमा कराया गया। कैम्प में मानचित्र एवं नोटिस की सुनवाई के दौरान कुल-135 उपस्थित हुए व कैंप में 112 नोटिस प्रकरणों में सुनवाई की गयी। कैम्प में संयुक्त सचिव, परमानन्द यादव,के नेतृत्व में, 05 जोनों के जोनल अधिकारी, अवर अभियन्तागण, भवन लिपिक सहित नियोजन, आवाप्ति, सीलिंग एवं विधि अनुभाग के कार्मिकगण उपस्थित रहें।

जागरूक एक्सप्रेस–दि0 19.07.2024

वीडीए के मानचित्र निस्तारण कैंप में हुई सुनवाई

समस्याओं के निस्तारण के क्रम में नियोजन द्वारा 25 व सीलिंग अनुभाग द्वारा 20 अनपत्ति जारी

जिला संवाददाता

वाराणसी। वाराणसी विकास प्राधिकरण के सभागार कक्ष में उपाध्यक्ष के निर्देश के क्रम मे नोटिस सुनवाई एवं मानचित्र निस्तारण कैम्प का आयोजन किया गया। कैम्प में मानचित्र निस्तारण के सन्दर्भ में नियोजन अनुभाग द्वारा कुल-25, सीलिंग अनुभाग द्वारा कुल-20 अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया गया। कैम्प में कुल-05 नये शमन मानचित्र आवेदन प्राप्त हुए। वाराणसी विकास प्राधिकरण में पूर्व में दाखिल किये गये कुल मानचित्रों के सापेक्ष कैम्प 11 मानचित्र की गणना की गयी, जिसमें कुल मानचित्र शुल्क के मद में रु. 1,44,21,120 आरोपित किया गया। कैम्प अवधि के दौरान मानचित्र शुल्क के मद में रु. 05,01,169 प्राधिकरण कोष में जमा कराया गया। कैम्प में मानचित्र एवं नोटिस की सुनवाई के दौरान कुल-135 उपस्थित हुए। कैंप में 112 नोटिस प्रकरणों में सुनवाई की गयी। कैम्प में संयुक्त सचिव, परमानन्द यादव के नेतृत्व में, 05 जोनों के जोनल अधिकारी, अवर अभियन्तागण, भवन लिपिक सहित नियोजन, आवाप्ति, सीलिंग एवं विधि अनुभाग के कार्मिकगण उपस्थित रहें। प्राधिकरण द्वारा शमन मानचित्रों एवं नोटिसों प्रकरण के निस्तारण प्रभावी रूप से सुनिश्चित किये जाने हेतु वाराणसी विकास प्राधिकरण सभागार में प्रत्येक बृहस्पतिवार को नोटिस सुनवाई एवं मानचित्र निस्तारण कैम्प आयोजित किया जायेगा।